557/NIC
8/11/17

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड
जिला आपदा प्रवंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्याः–......69......../2017

सरकार के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची के पत्र संख्या 05/आ0 प्र0 (पेयजलापूर्ति)–08/2015–I –43 (आ0) आ0 प्र0 रॉची दिनांक 07/09/2017 द्वारा गैर योजना मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में घोषित सुखाड़ के आलोक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खराव पड़े चापानलों एवं नलकूपों आदि की मरम्मति/पुनर्स्थापन हेतु उपायुक्त दुमका को वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) से कुल 2,49,99,000.00 (दो करोड़ उनचास लाख निन्नानवे हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित वजट शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

वचत शीर्ष	आवंटित राषि
मूख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मूख्यशीर्ष–01–सूखा, लघु शीर्ष –102–पीने की पानी की पूर्ति, उप शीर्ष–03–ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं नलकूपों आदि की मरम्मति, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण,–43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), विपत्र कोड–39S224501102030543.	2,49,99,000.00 (दो करोड़ उनचास लाख निन्नानवे हजार) रूपये मात्र
कुल दो करोड़ उनचास लाख निन्नानवे हजार रूपये मात्र	**2,49,99,000.00**

(3) कुल प्राप्त आवंटन 2,49,99,000.00 (दो करोड़ उनचास लाख निन्नानवे हजार) रूपये मात्र को निम्नलिखित प्रखण्डवार कार्यापालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दमका 01 एवं 02 को निम्न प्रकार उपावंटित की जाती है।

क्र0 सं0	प्रखण्डो के नाम	राइजर पाइप वदलने हेतु प्राक्कलित राशि	मरम्मति हेतु चापाकलो की संख्या	मरम्मति हेतु कुल उपावंटित राशि	कार्यकारी ऐजेन्सी का नाम
1	शिकारीपाड़ा	10,483.00	239 अदद	25,05,437.00	कार्यापालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दुमका 01
2	रानीश्वर	10,483.00	239 अदद	25,05,437.00	
3	काठीकुण्ड	10,483.00	239 अदद	25,05,437.00	
4	गोपीकान्दार	10,483.00	239 अदद	25,05,437.00	
	कुल		**956 अदद**	**1,00,21,748.00**	
5	दुमका	10,483.00	238 अदद	24,94,954.00	कार्यापालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दुमका 02
6	मसलिया	10,483.00	238 अदद	24,94,954.00	
7	जामा	10,483.00	238 अदद	24,94,954.00	
8	रामगढ़	10,483.00	238 अदद	24,94,954.00	
9	जरमुण्डी	10,483.00	238 अदद	24,94,954.00	
10	सरैयाहाट	10,483.00	238 अदद (कुल 7,528/–रूपये अतिरिक्त)	25,02,482.00	
	कुल		**1428 अदद**	**1,49,77,252.00**	
क्रमांकः–1 से 10 तक का कुल योग–2,49,99,000.00 (दो करोड़ उनचास लाख निन्नानवे हजार रूपये) मात्र।					

(4) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांकः–226/SWSM, दिनांकः–17/02/2017 के आलोक में दिनांकः–21/02/2017 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही संख्याः–1 तथा कार्यवाही संख्याः–4.1, 4.2, 4.3, 4.4 में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0:–34 (स्वी0), दिनांकः– 19/05/2017 द्वारा कुल 83,02,37,000/– (तिरासी करोड़ दो लाख सैंतीस हजार) रूपये मात्र आवंटित की गई थी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांकः–553/SWSM, दिनांकः–24/04/2017 द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही संख्याः–4.1, 4.2 एवं 4.3 में उल्लेखित राशि 2438.15060 लाख रूपये सीधे संबंधित जिलों को उपलब्ध कराने हेतु जिलावार विवरण उपलब्ध करया गया। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांकः–829/SWSM, दिनांकः–01/06/2017 द्वारा उक्त आवंटित राशि में से 2438.14577 लाख रूपये प्रत्यर्पित करते हुए सीधे संबंधित जिलों को आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध के आलोक में प्रत्यर्पित राशि को रिवोक करने हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांकः–553/SWSM, दिनांकः–24/04/2017 द्वारा प्राप्त जिलावार विवरण के अनुसार मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर राज्य कार्यकारिणी समिति की आगमी बैठक में अनुमोदन के प्रत्याशा में कुल 2483.15060 लाख रूपये मात्र की राशि के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

(5) निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी द्वारा सम्वन्धित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

(6) संबन्धित कार्यापालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दुमका 01 एवं 02 भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पसंगाधीन भुगतान रज्य आपदा मोचन निधि संबन्धि मद एवं मापदण्ड सहित यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

(7) आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

(8) किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में दिनांकः–20/03/2018 के पूर्व कारण दर्शाते हुए राशि का ऑन–लाईन प्रत्यार्पण करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(9).(i). व्यय के पश्चात विहित प्रपत्र–GFR-19 (A) में उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह, कारा एवं आपदा प्रबन्धन विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रभाग) को समर्पित किया जायेगा।

(ii) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ें में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(iii) सम्वन्धित कार्यापालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दुमका 01 एवं 02 निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे एवं आवंटित राशि से कराये जाने वाले कार्यो की मॉनिटरिंग करेंगे।

(10) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि यदि ऐसी कोइे योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हतु अविलम्व सूचना सम्वन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

(11). (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
(ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17/04/1998 पत्रांक–2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–759 दिनांक 20/03/2015 का पालन अक्षरशः पालन किया जाय।
(ग) कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग व्दारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।
(घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।
(ङ) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

(12) संबन्धित कार्यापालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दुमका 01 एवं 02 व्यक्तिगत रूप से मामले की सत्यता जाँच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर ही भुगतान करेंगे।

(13) प्रसंगाधीन स्वीकृयादेश की सभी शर्तो का पालन किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/11/2017
प्रतिलिपीः– कार्यापालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दुमका 01 एवं 02/कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हतु प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/11/2017
प्रतिलिपीः–आयुक्त, सन्ताल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/11/2017
प्रतिलिपीः– सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॉची, झारखण्ड/ सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/11/2017
प्रतिलिपीः– महालेखाकार रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–.....219......................./आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–.....07.........../11/2017
प्रतिलिपीः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

उपायुक्त,
दुमका